



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/नियु./2012/970

भोपाल,दिनांक -27-1-12

प्रति,

कलेक्टर

समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:—म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन अन्तर्गत संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रसूति अवकाश एवं पितृत्व अवकाश की पात्रता के संबंध में।

म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 13.01.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश 180 दिवस एवं पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश 15 दिवस की पात्रता निर्धारित की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल,दिनांक 27-1-12

पृष्ठा.क्रमांक/राशिके/नियु./2012/971

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रबंधक वित्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रशासक, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र